न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/85/2023 रजू दिनांकः 13.06.2023 रजि0 न0 2023/544

अपीलार्थीः–

श्री गिरधारी लाल ज्योतिषी पुत्र श्री बाबुलाल, निवासी मोहल्ला मान्दीन राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद अधिकारी अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 27.06.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 01.05.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो तो दिनांक 27.06.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद अधिकारी अलवर, जिला अलवर ने जरिये पत्र क्रमांक रसद/आर.टी.आई/2023/1456 दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से पत्र की प्रति संलग्न कर जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है की अपीलार्थी गिरधारी लाल ज्योतिषी पुत्र गोपालिया को आवंटित उचित मूल्य दुकान एंव उसे जारी प्राधिकार पत्र के संबंध में सूचना चाही गई है। जो प्रार्थी रामबाबू गोपालिया द्वारा व्यक्तिशः कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित प्रार्थना पत्र के जरिये स्वयं की सूचना अन्य किसी व्यक्ति/तृतीय पक्ष को देने से इन्कार किया है। अतः सचूना तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण धारा 81(1)(घ) के अनुसार दिया जाना संभव नहीं है। लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें। सूचना उपलब्ध कराई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(पुखराज सैन)
जिला कलक्टर अलवर (राज0)